



2026:AHC:12848

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 226 सन् 2026

सुशील कुमार भारती याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आदिल अहमद खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री सुधीर भारती, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादी इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 - तहसीलदार (न्यायिक), तहसील-सदर, जिला - महाराजगंज को वाद संख्या 9975/2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या TT202505470109975 का शीघ्र निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः चार महीने की अवधि के भीतर करे, लेकिन बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

19 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"